बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन

अप्रैल 2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

इंडेक्स

पेज नं

(**A**) अभियंताओं / वास्तुविदों / संवेदकों / राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण	**01**
(**B**) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	**06**
(**C**) अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14–20 अप्रैल) 2018 के अवसर पर आयोजित जन–जागरूकता का कार्यक्रम	**08**
(**D**) भूकंप से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन	**11**
(**E**) Heat Action Plan:	**12**
(**F**) 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर पंचायत प्रति. निधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	**13**
(**G**) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम	**15**
(**H**) (क) राज्य में डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं कमी लाने हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं "सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की शुरूआत"	**19**
(ख) सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्य योजना का सूत्रण	**20**
(ग) आदर्श नौका नियमावली 2011 के क्रियान्यवन संबंधी अध्ययन (अक्टूबर 2017)	**22**
(**I**) सडक सुरक्षा सप्ताह 23–30 अप्रैल 2018	**23**
BSDMA activities in association with AIIMS, Patna and Bihar Auto Rikshaw Chalak Sangh	**25**
(**J**) बिहार भूकंप दूरमापी तंत्र की स्थापना	**29**
(**K**) Mass Messaging/Whatsapp Advisory	**31**
(**L**) अखबारों में प्रकाशित Advisory	**33**

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

मासिक प्रतिवेदन (अप्रैल 2018)

(A) अभियंताओं\वास्तुविदों\संवेदकों\राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

बिहार राज्य के नेपाल से सटे 8 जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा एवं किशनगंज भूकम्प की दृष्टि से सर्वाधिक संवे. दनशील हैं और भूकंप जोन V में आते हैं। 24 जिले भूकम्प जोन IV के अन्तर्गत आते हैं और शेष 6 जिले भूकम्प के जोन III में आते हैं। इस प्रकार, करीब—करीब पूरा बिहार, संवेदनशील भूकम्पीय क्षेत्र में पड़ता है।

भूकंप की भविष्यवाणी नही की जा सकती तथा इसे रोका नहीं जा सकता, परंतु भूकंप के कारण होने वाली जान—माल की क्षति को कम किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि भूकंप के कारण लोगों की मृत्यु नहीं होती, परन्तु भूकंप से जो भवन गिरते हैं, उसके कारण मृत्यु होती है। आपदा प्रबंधन के

बदले परिदृश्य में, भूकंप प्रभावितों को सहायता पहुँचाने के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि भूकंप के कुप्रभावों का शमन करने हेतु निरंतर कार्य किए जाय। यह तभी संभव है जब राज्य में भूकंपरोधी भवनों का निर्माण हो तथा पूर्व में निर्मित मकानों का रेट्रोफिटिंग कर उन्हें भूकंपरोधी बनाया जाए।

नये भूकंपरोधी भवनों को बनाने तथा पुराने भवनों के रेट्रोफिटिंग के लिए पहला काम है कि निर्माण कार्य में संलग्न सभी साझेदारों का क्षमतावर्द्धन किया जाए तथा संवेदकों एवं आमजन को भूकम्परोधी भवनों के निर्माण करने हेतु जागरूक किया जाए। अतएव, बिहार सरकार द्वारा सभी अभियंताओं/वास्तुविदों/राज्यमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण एवं भूकम्प के दृष्टिकोण से सुदृढ़ीकरण (रेट्रोफिटिंग) की तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने एवं संवे. दकों के संवेदीकरण का निर्णय लिया गया तथा यह कार्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपा गया।

इस निर्णय के अनुसार में प्राधिकरण द्वारा अभियंताओं की Training Need की पहचान कर वरीय अभियंताओं, जिला स्तरीय अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल तथा तद्नुसार प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी एवं जनवरी 2017 से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विवरणी निम्नांकित हैः–

मार्च 2018 तक

Sr. No	Training Name	Date	District/Training location	No. of Participants
1	Master Trainers Training Programme for Engineer training	1st Batch :- 16-20 Jan 2017	Patna	Total 123 Participants in four batches 34 Selected as Master Trainer
		2nd Batch: 23-28 Jan 2017	Patna	
		3rd Batch: 06-10 Feb 2017	Patna	
		4th Batch: 13-17 Feb 2017	Patna	
		1st Batch :- 24-25 April 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	

2	Sr. Ers. Training Programme (for SE & above rank engineers)	2nd Batch: 26-27 April 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	Total 141 Participants in six batches
		3rd Batch: 2-3 May 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
		4th Batch: 5-6 May 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
		5th Batch: 8-9 May 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
		6th Batch:- 11th & 13th May 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
3	4 days District Engineers Training Programme (For JE, AE & EE)	1st Batch :- 24-27 July 2017	Jehanabad, Collectorate	Total 69 Participants in two batches
		2nd Batch: 01-04 August 2017	Jehanabad, Collectorate	
4	4 days District Engineers Training Programme (For JE, AE & EE)	1st Batch :- 26-07-2017 to 29-07-2017	Arwal, Collectorate	Total 55 Participants in two batches
		2nd Batch: 01-08-2016 to 04-08-2017	Arwal, Collectorate	
5	Ers. Training programme on RVS (Engineers deputed by BCD+BEPC+BSEIDC+BSIC)	1st Batch: 20 Sept. 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	Total 94 Participants in three batches
		2nd Batch: 21st Sept. 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
		3rd Batch: 22 Sept. 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	
6	4 days District Engineers Training Programme (For JE, AE & EE)	1st Batch :- 09-10-2017 to 12-10-201	Nawada, Collectorate	Total 64 Participants in two batches
		2nd Batch: 30-10-2017 to 02-11-2017	Nawada, Collectorate	
7	4 days District Engineers Training Programme (for JE, AE & EE)	1st Batch : 31st Oct -3 Nov 17	Nalanda, Agriculture College (Noorsarai)	Only 27 Participan ts Training of Rest of the batches could not be held due to inability expressed by district administration
8	Sr. Ers. Training Programme (For SE &	7th Batch:- 14th & 15th	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	Total 18 Participants

	above rank engineers)	Nov 2017		
9	4 days District Engineers Training Programme of Patna district (for JE, AE, EE)	1st Batch : 21st - 24th Nov 17	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	28 Participants
		2nd Batch: 27th - 30th Nov 17	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	34 Participants
		3rd Batch: 12th - 15th Dec 17	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	34 Participants
		4th Batch: 09th -12th Jan 18	9th Jan at BSDMA & (10-12 Jan) Indira Bhawan, Patna	22 Participants
		5th Batch: 16th- 19th Jan 18	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	32 Participants
		6th Batch: 26th Feb -01 March 18	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	20 Participants
10	One day Consultation workshop on RVS of Govt buildings & schools conducted by BSDMA for action plan	1st Batch: 27th Dec 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	65 Participants
		2nd Batch: 28th Dec 2017	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	24 Participatnts
11	3 days Mason Trainers Training Program	1st Batch: 2-4 Jan 2018 (Phase I) (Govt. Ers.)	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	25 Participants (Govt. Ers. From Patna, Jehanabad & Madhepura
		2nd Batch: 10-12 Jan 2018 (Phase I) (Pvt. Ers.)	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	32 Participants (Pvt.)
		1st Batch: 23-25 Jan 2019 (Phase II) (Govt. Ers.)	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	*23 Participants (Govt. Ers. From Patna, Jehanabad & Madhepura*
		2nd Batch: 29-31 Jan 2020 (Phase II) (Pvt. Ers.)	BSDMA, Pant Bhawan, Patna	*32 Participants (Pvt.)*
12	7 days Mason Trial Training Program, Patna	05th-11th Feb 2018	At: MLA/MLC Residence Construction Site, Patna	36 Mason, *10 Engineers & 2 Observer Participated*
13	7 days Mason Trial Training Program, Madhepura	19th -25th Feb 2018	Near by Circuit House, Govt. Residence Site	28 Mason, *8 Engineers & 2 Observer Participated*

अप्रैल 2018 में संचालित कार्यक्रमों का विवरण

S.NO				
1.	**7 days Mason Training, Program. Block- Dumra, Distt.- Sitamarhi**	**16th -22th April 2018**	**At Women I.T.I. Construction Site, Dumra**	**13 Mason,** ***5 Pvt. Ers., 7 Govt. Ers. & 2 Observer Participated***
2	**3 days Mason Trainers Training, Distt.- Sitamarhi**	**25th -27th April 2018**	**Conference Hall, Collectorate**	**41 Participated**

(B) बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषयक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों, यथा–अनुमंडल, जिला एवं राज्य स्तर, पर पद–स्थापित पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन की अवधारणा में Paradigm परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों, यथा–रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, त्वरित रेस्पोंस, पुर्नस्थापना एवं पुर्ननिर्माण आदि, के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहुआपदा प्रवणता, आपदा प्रबधंन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम, नीतियों, राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकारण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) की

जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पोंस में गति आयेगी एवं आपदा प्रभावितों के बचाव तथा उन्हें ससमय राहत उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

प्राधिकरण की 10वीं एवं 11वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी माह में दिनांक 16.01.2018 से प्रारंभ किया गया है। पदाधिकारियों के Training need की पहचान कर सचिवालय स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों एवं जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का अलग–अलग माड्यूल विकसित किया गया तथा तद्नुसार प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया गया।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि0प्र0से0 के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अब तक कुल 330 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनमें से अप्रैल 2018 में चार चरणों में कुल 130 पदाधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ है।

अप्रैल 2018 के कार्यक्रम का विवरणः–

अप्रैल, 2018 में बि0प्र0से0 के जिला स्तर पर पदस्थापित पदाधिकारियों का चार चरणों में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें कुल 130 पदाधिकारी सम्मिलित हुएः–

दिनांक	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
09–10 अप्रैल,2018	34
12–13 अप्रैल,2018	34
16–17 अप्रैल,2018	29
19–20 अप्रैल,2018	33

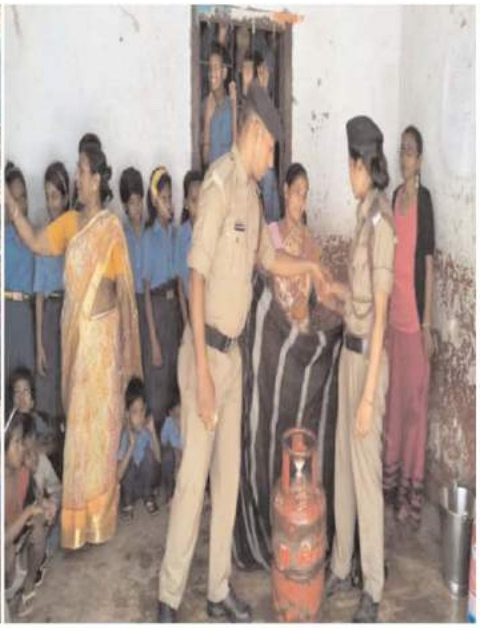

(c) अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14-20 अप्रैल) 2018 के अवसर पर आयोजित जन-जागरूकता कार्यक्रम

सरकार के निर्णय के आलोक में प्रत्येक वर्ष दिनांक 14—20 अप्रील तक के सप्ताह को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14—20 अप्रैल, 2018) के दौरान जन—जागरूकता के निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये हैंः—

(क) राज्य के दैनिक अखबारों (दो हिन्दी, एक अंग्रेजी एवं एक उर्दू) के सभी संस्करणों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता संबंधी सलाह (Advisory) प्रकाशित किया गया है।

(ख) सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अग्नि जागरूकता संबंधी सलाह (Advisory) जारी की गयी।

(ग) पटना शहर की स्लम बस्तियों के निवासियों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17.04.2018 को किया गया जिसमें पटना शहर के दस स्लम बस्तियों के प्रतिनिधि, संबंधित वार्ड पार्षद, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ एवं सरकार के संबंधित विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में स्लम बस्तियों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर सारगर्भित चर्चा हुई तथा स्लम बस्तियों के प्रतिनिधि संवेदित किए गए।

(घ) अग्नि सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक एवं मॉकड्रिल का आयोजन – पटना शहर के विभिन्न स्थलों पर अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन प्राधिकरण, एस0डी0आर0एफ0 एवं बिहार अग्निशमन सेवाएँ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

अग्नि–सुरक्षा सप्ताह के समापन दिनांक 20 अप्रैल को बच्चों के बीच अग्नि–सुरक्षा पर पेंटिंग एवं स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें स्लम क्षेत्रों में निवास करने वाले काफी बच्चों ने भाग लिया।

दिनांक	नुक्कड़ नाटक स्थान	मॉकड्रिल
14.04.2018 (शनिवार)	सेन्ट्रल मॉल, मौर्यालोक कॉम्पलेक्स तथा महाराजा कामेश्वर कॉम्पलेक्स	अपार्टमेंट
15.04.2018 (रविवार)	गांधी मैदान, इक्को पार्क तथा बुद्धा स्मृति पार्क	अपार्टमेंट
16.04.2018 (सोमवार)	अदालतगंज, यारपुर तथा कमलानगर	मगध महिला कॉलेज
17.04.2018 (मंगलवार)	बहादुरपुर, लोहानीपुर तथा नालारोड	उत्क्रमीत मध्य विद्यालय, यारपुर, गर्ल्स एण्ड ब्याज स्कूल, गर्दनीबाग
18.04.2018 (बुधवार)	पाटलिपुत्रा कॉलनी, नेहरूनगर तथा शिवपुरी	अदालतगंज, मध्य विद्यालय
19.04.2018 (गरूवार)	रामजीचौक, नाच बगीचा	लोहानीपुर प्राथमिक विद्यालय तथा नालारोड, गर्ल्स स्कूल
20.04.2018 (शुक्रवार)	पटना कॉलेज, मगध महिला कॉलेज तथा ए0एन0 कॉलेज	नेहरूनगर, गोसांईटोला स्कूल

(D) भुकंप से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन

दिनांक 19.04.2018 को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में NDRF के सहयोग से भूकंप से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल कार्यक्रम में प्रमुख हितधारक यथा NDRF, बिहार अग्निशमन सेवाएँ, पटना ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग (पी0एम0सी0एच0) मुख्य रूप से सम्मिलित हुए।

(E) Heat Action Plan:

प्राधिकरण द्वारा लू से बचाव हेतु Heat Action Plan (HAP) का सूत्रण किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 10.04.2018 को पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संबंधित विभागों एवं अन्य हितधारियों से HAP में उनके लिए प्रस्तावित कार्य योजना के संबंध में विमर्श कर "Heat Action Plan" को अंतिम रूप देना था। इस कार्यशाला में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों, विभिन्न जिलों के उप/अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) एवं नगर निगम के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में उनके सुझावों पर विचार कर "Heat Action Plan" को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(F) आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में "सुरक्षित गाँव" के घटक के अंतर्गत, पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तरीय आपदा प्रबधन योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपदा की प्रकृति स्थानीय होती है और इसके रिस्पांस हेतु समुदाय की सहभागिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पंचायत प्रतिनिधि स्थानीय समुदाय के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं और उनका स्थानीय समुदाय पर सीधा प्रभाव होता है। पंचायत प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं क्षमतावृद्धि से स्थानीय समुदाय पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं आपदा रिस्पांस के कार्य प्रभावी तरीके से संपादित किये जा सकेगें। माननीय मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण के स्थापना दिवस के अवसर पर गतवर्ष यह सुझाव दिया था कि हमें आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पंचायतों एवं गाँवों तक फोकस करना चाहिए।

उपरोक्त के आलोक में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनवरी, 2018 से राज्य के 38 जिलों में सरपंच, मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों का "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। मास्टर ट्रेनर्स के रूप में प्रशिक्षण हेतु जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने जिले के प्रत्येक प्रखंड से एक–एक मुखिया एवं सरपंच को चयनित कर राज्य स्तर पर भेजा जाता है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मॉड्यूल के अनुसार मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण हस्त पुस्तिक दी जाती है। यह मास्टर ट्रेनर्स प्रखण्ड स्तर पर अन्य सरपंच, मुखिया एवं पंचायत प्रतिनिधियों को आपदा न्यूनीकरण पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु जिलों को राशि एवं पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण हस्तपुस्तिका प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। जनवरी से मार्च,2018 तक मधुबनी–25, पूर्वी चम्पारण–33, सहरसा–19, सुपौल–22, मधेपुरा–25, शिवहर–8 एवं सीतामढ़ी–26, कुल 158 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षत किया जा चुका है।

अप्रैल, 2018 में मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण का विवरण :–

कम	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	12–13 अप्रैल, 2018	पश्चिमी चम्पारण, सिवान एवं समस्तीपुर	47
2	18–19 अप्रैल, 2018	कटिहार, अररिया, पश्चिमी चम्पारण, सिवान एवं समस्तीपुर	46

(G) मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाता रहा है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015–30 में वर्णित सुरक्षित शनिवार की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु इस वर्ष से अब राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, सरकार के विभिन्न विभागों, यथा समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, द्वारा संचालित विद्यालयों और सभी मदरसों, कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों एवं संस्कृत शिक्षा बोर्ड से संबंधित विभिन्न विद्यालयों में ''मुख्य मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जायेंगी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कि ''घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक'' विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों, नियमित शिक्षण में आनेवाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुक्सान में काफी हद तक कमी लायी जाए।

"सुरक्षित शनिवार" को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। चयनित मास्टर ट्रेनर्स सरकारी विद्यालयों, निजी विद्यालयों एवं मदरसों के शिक्षक होते हैं। मास्टर ट्रेनर्स का यह प्रशिक्षण जनवरी, 2018 से मार्च तक निम्नानुसार आयोजित किया गयाः–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक
1	29–31 जनवरी, 2018	पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं जमुई	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	40
2	1–3 फरवरी, 2018	सिवान, सारण एवं गोपालगंज	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	49
3	6–8 फरवरी, 2018	कटिहार, किशनगंज एवं पूर्णिया	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	50
4	15–17 फरवरी, 2018	शेखपुरा, पटना एवं नवादा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	54
5	20–22 फरवरी, 2018	शिवहर, सीतामढ़ी एवं नालन्दा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	47
6	5–7 मार्च, 2018	कैमूर, जहानाबाद एवं रोहतास	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	25
7	8–10 मार्च, 2018	सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	65
8	19–21 मार्च, 2018	गया, भोजपुर एवं अरवल	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	39
9	26–28 मार्च, 2018	मुंगेर, बेगूसराय एवं वैशाली	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, पटना	47

अप्रैल 2018 के मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण

तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक
2–4 अप्रैल, 2018	मुजफ्फरपुर, लखीसराय एवं दरभंगा	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, गाँधी मैदान, पटना	41
5–7 अप्रैल, 2018	मधुबनी, समस्तीपुर एवं खगड़िया	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, गाँधी मैदान, पटना	52
10–12 अप्रैल, 2018	भागलपुर एवं बांका	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, गाँधी मैदान, पटना	54
17–19 अप्रैल, 2018	औरंगाबाद, बक्सर एवं अररिया	ए.एन. सिन्हा सामाजिक शिक्षण संस्थान, गाँधी मैदान, पटना	42

शिक्षा विभाग से अनुरोध किया गया है कि इन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला, प्रखंड एवं स्कूल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उपरोक्त श्रेणी के प्रत्येक विद्यालय में एक–एक शिक्षक को फोकस शिक्षक के रूप में प्रशिक्षत कर ''सुरक्षित शनिवार'' कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ करें।

प्राधिकरण ने ''सुरक्षित शनिवार'' एवं ''मुख्मंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम'' के सफल संचालन हेतु सहभागी प्रक्रिया द्वारा अवधारणा पत्र एवं प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका विकसित की है जिसे सभी मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण में दिया जाता है तथा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रत्येक फोकस शिक्षक तक पहुँचाया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण 21 मई, 2018 से शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है।

(H) (क) राज्य में डूबने की घटनाओं की रोकथाम एवं उनमें कमी लाने हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की शुरूआत

वर्ष 2016 में छठ के समय डूबने से हुई मौतों का स्वतः संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने इनके कारणों की पहचान कर निरोधात्मक व जोखिम न्यूनीकरण की उपाय करने के निर्देश दिये। प्राधिकरण ने जाँच टीम गठित कर डूबने के कारणों की पड़ताल की। साथ ही डूबने से होने वाली मौतों के रोकथाम एवं न्यूनीकरण की कार्ययोजना सूत्रण पर कार्य प्रारभ किया। इस कार्ययोजना के सूत्रण हेतु बहुहितभागी एवं सहभागी प्रक्रिया द्वारा सामग्रीयां जुटाई गयी एवं यूनिसेफ की अगुआई में एक बहु हितभागी ड्राफि्टंग कमिटी का गठन किया गया। कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्य योजना के निम्न घटक हैं:–

1. सामुदायिक जन जागरूकता एवं संवेदीकरण
2 तैराकी न जानने वाले 6–18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण
3 तैराकी जानने वाले 6–18 आयु वर्ग के बालक/बालिकाओं का तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का Advanced प्रशिक्षण
4. समुदाय का Pre-hospital treatment एवं डूबने से बचाव का प्रशिक्षण
5. खतरनाक घाटों पर नागरिकों के जाने पर रोक लगाना

(ख) सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्य योजना का सूत्रण एवं नाविकों/नाव मालिकों का प्रशिक्षण

विगत वर्षों में हुई नौका दुर्घटनाओं में अलग–अलग स्थानों पर काफी संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुरक्षित नौका परिचालन के लिए रणनीति एवं कार्य योजना विकसित करने के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन 6 जून 2017 को पटना में किया गया। जिसमें सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा खगड़िया समस्तीपुर, मुजफरपुर, भोजपुर और पटना से नाविकों ने भाग लिया। तदनुसार सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

इस कार्ययोजना के निम्नांकित घटक (Component) हैः–

- क्षमता निर्माण (Capacity Bulding)
- जन–जागरूकता (Awareness)
- प्रवर्तन (Enforcement)
- अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)

सुरक्षित नौका परिचालन की कार्य योजना के आलोक में सुरक्षित नौका परिचालन हेतु नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉडयूल एवं सामग्री का निर्माण किया गया। मॉड्यूल के निर्माण के उपरांत NINI के सहयोग से जुलाई 2017 से चयनित 29 जिलों के नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया जो समाप्त हो गया है।

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षित मास्टर प्रशिक्षक
1	26.07.2017 से 28.07. 2017	पटना, बक्सर, भोजपुर		21
2	02.08.2017 से 04.08. 2017	सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय		20
3	09.08.2017 से 11.08. 2017	खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय		18
4	13.09.2017 से 15.09. 2017	कटिहार, पूर्णियाँ, सुपौल		24
5	20.09.2017 से 22.09. 2017	सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा	NINI, गायघाट, पटना	20
6	22.11.2017 से 24.11. 2017	मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चम्पारण		21
7	28.11.2017 से 30.11. 2017	गोपालगंज, सीवान, किशनगंज		19
8	13.12.2017 से 15.12. 2017	पश्चिम चम्पारण, अररिया, शेखपुरा, नालंदा		20

इन प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से जिला स्तर पर नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या
1.	भागलपुर	730
2.	कटिहार	220
3.	मधेपुरा	366
4.	सहरसा	190
5.	मधुबनी	198
6.	दरभंगा	214
7.	**समस्तीपुर**	219
	कुल	2137

सभी मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षित नाविकों/नाव मालिकों को प्रशिक्षण सामग्री एवं पुस्तिका उपलब्ध करायी जाती है।

(ग) नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

सुरक्षित नौका परिचालन की कार्ययोजना के आलोक में बिहार आ दर्श नौका नियमावली-2011 में वर्णित नियमों एवं प्रावधानों के अनुपालन हेतु सर्वेक्षकों एवं निबंधन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। इस प्रशिक्षण को कारगर बनाने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण मोड्यूल एवं प्रशिक्षण हस्त पुस्तिका विकसित किया गया है।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को नावों की संरचना, उनके मुख्य भाग, नावों का निबंधन, भार क्षमता का आकलन, लोड लाईन का रेखांकन एवं अनुपालन, सवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों की जानकारी, जैसे नाव रोकने के लिए लंगर, रात्रि में प्रकाश स्रोत की व्यवस्था, नावों में जीवन रक्षक एवं अग्निशमन आदि के उपकरणों की आवश्यकता एवं उपयोग के बारे में अवगत कराया जाता है। अभी तक कुल 5 बैचों में विभिन्न जिलों में अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण कराया जा चुका है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है:–

सत्र संख्या	तिथि	प्रशिक्षण में शामिल जिले	स्थान	कुल प्रशिक्षि मास्टर प्रशि
1	15.02.2018 से 17.02. 2018	पटना	NINI, गायघाट, पटना	21
2	07.03.218 से 09.03. 2018	पटना, सारण, शिवहर		23
3	15.03.2018 से 17.03. 2018	बेगूसराय		23
4	04.04.2018 से 06. 04.2018	सुपौल, अररिया		22
5	11.04.2018 से 13. 04.2018	अररिया		22

(I) सड़क सुरक्षा सप्ताह २३-३०, अप्रैल 2018

राज्य स्तर पर आयोजित की गई गतिविधियों का विवरण :–

1 **सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक** :– प्राधिकरण द्वारा 'संकल्प ज्याति' एवं 'प्रेरणा' संस्थाओं के सहयोग से कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में पटना के विभिन्न शैक्षिण संस्थानों में समुदाय के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण का कार्य किया गया। सप्ताह के दौरान आयोजित की गयी गतिविधियों का विवरण निम्न है :–

तिथि	सड़क सुरक्षा विषय पर कार्यशाला एवं नुक्कड़ नाटक आयोजन स्थल	प्रतिभागियों की संख्या (Approx)
23 अप्रैल	1. संत जेवियर हाई स्कूल गांधी मैदान	150
	2. संत जेवियर कॉलेज, आशियाना, दीघा रोड	215
	3. इको पार्क	100
24 अप्रैल	1. काली घाट, दरभंगा हाउस, पटना विश्वविद्यालय	40
	2. राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (NIFT)	130
	3. P & M मॉल	60
25 अप्रैल	1. राजकीय बालक उच्च विद्यालय, शास्त्रीनगर	200
	2. मिलर हाई स्कूल	125
	3. बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर	200
26 अप्रैल	1. राजकीय बालिका उच्च विद्यालय बांकीपुर	140
	.2 अदम्य अदिति कोचिंग संस्थान, बारी पथ	125
27 अप्रैल	1. माउंट कार्मेल गर्ल्स हाई स्कूल	300
	2. बिशप स्काट बालिका उच्च विद्यालय	250
	3. रघुनाथ बालिका उच्च विद्यालय, कंकड़बाग	50
28 अप्रैल	1. संत कैरेंस स्कूल, गोला रोड	700
	2. बुद्ध स्मृति पार्क	100
30 अप्रैल	1. संत केरेंस स्कूल, गोला रोड	200
	2. चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	75
	3. वैशाली गोल चक्कर, राजेन्द्र नगर	100
	कुल	3360

2. BSDMA activities in association with AIIMS, Patna and Bihar Auto Rikshaw Chalak Sangh

उपरोक्त दोनों संस्थाओं के सहयोग से ऑटो चालकों के लिए पटना के विभिन्न स्थानों पर Free Health Check up एवं Pre Hospital care से संबंधित प्रशिक्षण आयोजित किए गए प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार है :–

S.No	***Theme of Training***	***Date & Day***	***Total Number of Participants***
1	Basic Concept of safe Driving(Rule of 3 and Traffic signal)	23/04/2018	94
2	How to remove Helmet after RTA	24/04/2018	109
3	CPR Training	25/04/2018	127

4	Splinting of Fractured Bones	26/04/2018	90
5	How to Apply Pressure Bandage and Distribution of chocolate and say NO to SMOKING, TOBACCO & GUTKA	27/04/2018	81
6	How to Perform Needle Thoracostomy for Tension Pneumothorax and Distribution of Tooth Brush to improve oral hygiene.	28/04/2018	154
7	How to extricate patient from vehicle and Distribution of Soap to encourage bathing twice per day	29/04/2018	111
8	How to Transport and distribution of albendazole	30/04/2018	122
	Total		**888**

3. आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन/ बिहार राज्य ऑटो रिक्शा(टेम्पो) चालक संघ/ पटना जिला ऑटो रिक्शा (टेम्पो) चालक संघ/ पटना ऑटो रिक्शा चालक संघ के सहयोग से कामर्शियल एवं निजी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम :

कमर्शियल एवं निजी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के आवश्यक नियमों के अनुपालन के संबंध **में गाँधी मैदान स्थित काली मंदिर** के पास एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल 2018 को किया गया जिसका विवरण निम्नांकित है :

दिनांक	स्थान	जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या (Approx)
अप्रैल 28 2018	काली मंदिर के पासगाँधी , पटना ,मैदान	110

4. इसके अतिरिक्त बिहार राज्य परिवहन मित्र कामागार संघ के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गए।

5. कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस एवं युगांतर संस्था के सहयोग से पटना के विभिन्न चौक चौराहों एवं विद्यालयों/संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के चिन्हित विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

Dates	Awareness Theme	Location	Participation (Approx)
23-30 April 2018	Ideal bikethon, bicycle awareness campaign, seat belt awareness, helmet awareness, safety precautions for youth bikers, zebra crossing awareness and lane driving awareness etc.	Dakbanglow round about, Hartali chowk, Gandhi Maidan, Safina Rainbow Home, Bankipur, Harihar Mahant senior secondary school, Patna TPS college, Patna Millar High	**1948**
		School, Patna Patna Collegiate School, Patna Women's College, Gardanibagh, Patna	

(J) बिहार भूकंप दूरमापी तंत्र की स्थापना

भूकम्प की दृष्टि से हिमालयन क्षेत्र के निकट होने के कारण बिहार के भूभाग भूकम्प की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं। बड़े भूकम्पों के अलावे जमीन के अन्दरूनी भाग में भूकम्प उत्पन्न करने की क्षमता रखने वाले विभिन्न अपभ्रन्स (**faults**) हैं, जो इस भूभाग में आन्तरिक रूप से लगातार क्रियाशील हैं।

इस प्रकार की भूकम्पिय संवेदना को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक पाया गया कि बिहार के भूभाग में भूकम्पिय स्थिति एवं इसके बदलाव पर सत्त निगरानी बरती जाय तथा इसके आंकड़ों को इकट्ठा का इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाय। अध्ययन निष्कर्शों का प्रयोग क्षेत्र विशेष में भूकम्परोधी भवन निर्माण के तकनीक में किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वर्ष 2012 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निदेश पर प्रो0 आनन्द स्वरूप आर्य, तत्कालीन सदस्य, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य बिहार के भूकम्पिय गतिविधियों पर सत्त निगाह रखने हेतु उपायों पर परामर्श एवं अनुशंसा करना था। समिति द्वारा अनुशंसित किया गया कि बिहार के 10 जिलों, जो भूकम्पीय दृष्टि से अति संवेदनशील है, में भूकम्प दूरमापी तंत्र विकसित किए जाए तथा आंकड़ों का सग्रहण केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र, पटना में विकसित किया जाए।

उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में बिहार के 10 जिलों, में भूकम्पीय वेधशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं आंकड़ों के संग्रहण हेतु केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र, पटना विज्ञान महाविद्यालय के परिसर में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

इस केन्द्र पर **VSAT** के माध्यम से आकड़े प्राप्त किए जाएगे, जिनका विश्लेषण केन्द्र पर लगे कम्प्यूटर के माध्यम से होगा। एकत्रित आंकड़ों का उपयोग कर बिहार के अन्दरूनी भूभाग की संरचना की जानकारी प्राप्त करने, भूकम्प आने की दशा में कितना प्रभाव होगा इसका अध्ययन किया जाएगा।

इस तंत्र की स्थापना हेतु एक निदेशक की नियुक्ति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में की जा चुकी है। वेधशालाओं के निर्माण पूर्ण होते ही कुछ वैज्ञानिकों की नियुक्ति की जाएगी।

बिहार भूकंप दूरमापी तंत्र में अभी तक किए गए कार्यों का विवरण :

i. भूकम्पीय जोन IV एवं जोन V में आने वाले 10 जिलों में क्षेत्रीय वेधशालाओं की स्थापना हेतु स्थल चयन एवं तकनीकी सर्वे कराया जा चुका है।

ii. क्षेत्रीय वेधशालाओं के भवन निर्माण का कार्य बिहार भवन निर्माण निगम लि0 को सौपा गया, तदनुसार निगम द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर संवे. दक का चयन होकर चार जगहों (मुजफरपुर, गोपालगंज, छपरा, मोतीहारी) में भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।

iii. शेष छ जिलों में चयनित स्थलों में भवन निर्माण में गतिरोध को फरवरी के तृतीय सप्ताह में भ्रमण कर दूर कर लिया गया है। इन वेधशालाओं के भी भवन निर्माण का कार्य शुरू होने की प्रक्रिया में है।

iv. केन्द्रीय संग्रहण केन्द्र पटना विज्ञान महाविद्यालय परिसर में लगाया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में विद्यालय एवं विश्वविद्यालय से चर्चा कर डवन् हस्ताक्षरित करने की प्रक्रिया जारी है।

अप्रैल 2018 में हुए कार्य का विवरणः–

v. अप्रैल, 2018 में प्राधिकारण के सदस्य डॉ0 यू0 के0 मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा गहन परामर्श पूरा कर भूकम्प दूरमापी तंत्र हेतु आवश्यक यत्रों का Updation कर लिया गया है। विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 12.04.2018 को संपन्न हुई।

(K) Mass Messaging/Whatsapp Advisory

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा व्यापक रूप से जन जागरूकता के लिए Mass Messaging Advisory का कार्य शुरू किया गया। Mass Messaging का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों तक आपदा के संदर्भ में पंहुचना तथा आपदा के प्रति लोगों को सचेत एवं जागरूक करना है। इस तकनीक के जरिए प्राधिकरण द्वारा लगभग छः लाख विभिन्न पंचायत प्रति. निधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, आशा कर्मचारियों– 87 हजार, जीविका दीदी 1,47,000, अग्निशाम सेवा –170, इंजी. नियरों– 786, शिक्षकों– 605 आदि लोगों को Mass Messaging भेज जागरूक करने की कोशिश की जा रही है जिससे किसी भी आपदा के वक्त जान–माल की क्षति को कम किया जा सके। विभिन्न आपदाओं पर आधारित Message जैसेः– सड़क दुर्घटना, अगलगी, बाढ़, भूकंप, सुरक्षित घर–सुरक्षित परिवार, नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, नदियों–तालाबों में डूबने से बचने के उपाय इत्यादि पर Mass Messaging Advisory बनाकर उन आपदाओं से स्वयं तथा अन्य लोगों को जागरूक तथा सुरक्षित कैसे करें, किसी भी आपदा के वक्त क्या करें, क्या न करें की जानकारी लगातार प्रेषित की जा रही है। साथ ही साथ Whatsapp group भी बनाया गया है जिसके माध्यम से COs, BDOs, DMs, ADMs, Ward Members आदि को भी Pictorial Advisory तथा Message के माध्यम से भी जागरूक करने की कोशिश की जा रही है।

अप्रैल माह में सड़क दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, अगलगी तथा ठनका पर एडवाइजरी तथा Message उपरोक्त समूहों को भेजे गए:–

अगलगी	सड़क दुर्घटना	आसमान मे बिजली के चमकने / गरजने / कड़कने के समय :–
गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में गर्म पछुआ हवा के कारण अगलगी की संभावना बढ़ रही है। अगलगी से बचाव हेतु कृपया ध्यान दें। दिन का खाना 9 बजे सुबह के पहले एवं रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लें। हवन–अनुष्ठान सुबह 9 बजे से पूर्व कर लें। खाना बनाकर चूल्हे की आग को पानी से अच्छी तरह बुझा	सड़क पार करते समय हमेशा दायें और बायें देख कर पा करें। सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते सयम कान में इयरफोन लगा कर न चलें। दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी	यदि आप खुले में हों तो शीघ्रतिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें। जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सुखी चीजे जैसे – लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें। ऊँचे पेड़ के नीचे न खड़े हों। बिजली के सुचालक वस्तुओं
दें। खेत–खलिहान के आस–पास बीड़ी–सिगरेट न पीयें, न पीने दें। खेतों में फसल काटने के बाद बचें डंठल को नहीं जलाए। आग लगने पर फायर बिगेड (101 नंबर) एवं प्रशासन को सूचित करें एवं सहयोग करें।	हमेशा हेलमेट पहन कर चलें। हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें। वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस के जाने के लिए रास्ता छोड़ें। गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें।	से दूर रहें। समूह में खड़े हों। रेडियों और टी0वी0 पर मौसम के साफ होने का संदेश प्रसारित होने का इंतजार करें।

(L) अखबारों में प्रकाशित Advisory

प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर तथा विभिन्न Safety weeks के दौरान जन–जागरूकता के लिए Advisory अरवबारों में प्रकाशित की जाती है जिससे कि लोग आपदाओं से सचेत एवं सतर्क रह सकें।

अप्रैल 2018 में प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह तथा ठनका। Advisory जारी किया गया है।

ठनका (वज्रपात) अथवा आसमानी बिजली गिरने से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय से संबंधित सलाह (Advisory)

हमारे राज्य में आँधी-पानी के साथ ठनका (वज्रपात) गिरने की काफी घटनाएं हो रही है। ठनका लगने से कई लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना है। सामान्यतया मानसून पूर्व एवं मानसून की बारिश के समय ठनका गिरने की घटनाएं होती है। गत वर्ष 2016 में मानसून के आगमन के दि[n] बड़े पैमाने पर ठनका गिरने की घटनाएं हुई थीं जिसमें राज्य भर में 60 के लगभग लोगों की मौत हुई थी। चूँकि हमारे राज्य में मानसून का आगमन होने वाला है। अतएव यह आवश्यक है कि हम ठनका से बचने के लिए थोड़ी सावधानी बरतें।

ठनका गिरने से जन-धन को होने वाली हानि से बचाव के दृष्टिकोण से आम जन को सलाह दी जाती है कि :

आसमान में बिजली के चमकने/गरजने/कड़कने के समय

- यदि आप खुले में हों तो शीघ्रातिशीघ्र किसी पक्के मकान में शरण लें।
- परंतु ऊँचे वृक्ष के नीचे कदापि शरण नहीं लें। इसी प्रकार ऊँचे इमारत वाले क्षेत्रों में शरण नहीं लें।
- साथ ही बिजली एवं टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण नहीं लें, क्योंकि ऊँचे वृक्ष, ऊँची इमारतें एवं टेलीफोन/बिजली के खंभे आसमानी बिजली को अपनी ओर आकर्षित क
- यदि आप सफर में हों तो अपने वाहन में बने रहें।
- यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छूएँ।
- यदि घर में हों तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि को न छूएँ।
- बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें तथा उन्हें बंद कर दें।
- खिड़कियाँ, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
- पैदल जा रहे हों तो धातु की डंडी वाले छातों का उपयोग न करें।
- ऐसी वस्तुएँ जो बिजली की सुचालक हैं, उनसे दूर रहें।
- तालाब और जलाशयों से दूर रहें।
- तैराकी कर रहे लोग, मछुआरे आदि अविलंब पानी से बाहर निकल जाएं।
- गिले खेतों में हल चलाते, रोपनी या अन्य कार्य कर रहे किसान तथा मजदूर या तालाब में कार्य कर रहे व्यक्ति तुरंत सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर चले जाए।
- धातु से बने कृषि यंत्र- डंडा आदि से अपने को दूर कर दें।
- यदि आप खेत खलिहान में काम कर रहे हों तो तथा किसी सुरक्षित स्थान की शरण न ले पायें हों तो -
  (क) जहां हैं वहीं रहें, हो सके तो पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे- लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
  (ख) दोनों पैरों को आपस में सटा लें एवं दोनों हाथों को घुटनों पर रख कर अपने सिर को जमीन के तरफ यथा संभव झुका लें तथा सिर को जमीन से न सटाएं।
  (ग) जमीन पर कदापि न लेटें।
- खुले आकाश में रहने को बाध्य हों तो नीचे के स्थलों को चुनें। एक साथ कई आदमी इकट्ठे न हों। दो लोगों के बीच की दूरी कम-से-कम 15 फीट हो।
- समूह में न खड़े हों, बल्कि अलग-अलग खड़े रहें।
- यदि आप जंगल में हो तो बौने एवं घने पेड़ों के शरण में चले जायें।
- ठनका के मामले में मृत्यु का तात्कालिक कारण हृदयाघात है। अगर जरुरी हो तो ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) प्रारंभ कर दें।
- ''संजीवन क्रिया, प्राथमिक चिकित्सा'' (Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)) देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि प्रभावित व्यक्ति के शरीर से विद्युत का प्रवाह न हो रहा हो।
- यह सुनिश्चित कर लें कि पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही हो।
- आसमानी बिजली के झटके से घायल होने पर जरुरत के अनुसार व्यक्ति को कृत्रिम श्वास देनी चाहिए एवं उन्हें तत्काल नजदीकी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ले जाने की व्यवस्था की चाहिए।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें-

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पन्त भवन, बेली रोड, पटना-800001, फोन: 0612-2522032, फैक्स: 0612-2532311

अगलगी से बचाव हेतु सलाह (Advisory)

राज्य में गर्मी के मौसम की शुरूआत हो चुकि है। पछुआ हवा भी चल रही है। ऐसे में गर्मी के मौसम में ज्यादातर गांवों में अगलगी की घटनाओं की संभावना बढ़ गयी है। आग से हमारे घर, खेत, खलिहान एवं जान-माल की भारी क्षति पहुँचती है तथा सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। हम सब इसे रोक सकते हैं अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतें।

अतएव अग्निकांड से बचाव हेतु जनसाधारण को निम्नानुसार सलाह दी जा रही है:-

अगलगी से बचाव हेतु उपाय :–

ग्रामीणों के लिए

* दिन का खाना 9 बजे सुबह से पूर्व तथा रात का खाना शाम 6 बजे तक बना लें।
* कटनी के बाद खेत में छोड़े डंठलों में आग नहीं लगायें।
* भोजन बनाने के बाद चूल्हे की आग पूरी तरह से बुझा दें।
* रसोई घर अगर फूस का हो तो उसकी दीवाल पर मिट्टी पर लेप अवश्य कर दें।
* दीपक (दीया), लालटेन, मोमबत्ती को ऐसी जगहों पर न रखें जहाँ से गिरकर आग लगने की संभावना हो।
* मवेशियों को आग से बचाने के लिए मवेशी घर के पास प्रर्याप्त मात्रा में पानी का इंतजाम एवं निगरानी अवश्य करते रहें।
* ग्रामीण क्षेत्रों में हरा गेहूँ, खेसारी, छिमी भी बच्चे लाकर भूनते हैं। ऐसे में आग लगने से बचने के लिए उन पर निगरानी रखें।

सामान्य जनों के लिए

* हवन आदि का काम सुबह निपटा लें।
* रसोई घर की छत ऊँची रखी जाये।
* आग बुझाने के लिए बालू अथव मिट्टी बोरे में भरकर तथा दो बाल्टी पानी अवश्य रखें।
* शार्ट सर्किट की आग से बचने के लिए बिजली वायरिंग की समय पर मरम्मत करा लें।
* घर में किसी भी उत्सव के लिए लगाये कनात अथवा टेन्ट के नीचे से बिजली के तार को न ले जायें।
* जलती हुई माचिस की तीली अथवा अधजली बीड़ी एवं सिगरेट पीकर इधर-उधर ना फेंकें।
* जहाँ पर सामूहिक भोजन इत्यादि का कार्य हो रहा हो, वहां पर दो से तीन ड्रम पानी अवश्य रखा जाये। भोजन बनाने का कार्य तेज हवा के समय नहीं किया जाये।
* खाना बनाते समय ढीले-ढाले और पॉलिस्टर के कपड़े पहनकर खाना ना बनायें, हमेशा सूती कपड़ा पहन कर ही खाना बनायें।
* सार्वजनिक स्थलों, ट्रेनों एवं बसों आदि में ज्वलनशील पदार्थ लेकर न चलें।
* आग लगने पर समुदाय के सहयोग से आग बुझाने का प्रयास करें।
* फायर बिग्रेड (101 नम्बर) एवं प्रशासन को तुरंत सूचित करें एवं उन्हें आग बुझाने में सहयोग करें।
* अगर कपड़ों में आग लगे तो उन्हें दिए गए चित्र के अनुसार बुझाने का प्रयास करें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल पंत भवन, बेली रोड, पटना 800001, फोन : +91(612) 2522032, फैक्स : +91(612) 2532311, visit us : www.bsdma.org : e-mail : info@bsdma.org

अन्य उपयोगी फोन नंबर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC-612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग-0612-2215600

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सड़क सुरक्षा के उपाय

चिन्ता का विषय है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाएँ भारी संख्या में हो रही हैं। नई-नई सड़कों के निर्माण एवं गाड़ियों की बढ़ती संख्या के कारण भी दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण है कि हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। थोड़ी सावधानी, सजगता तथा निम्नलिखित नियमों का पालन कर हम सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोक सकते है :-

पैदल चलने वाले ध्यान दें:

- सड़क पार करते समय पहले दायें, फिर बायें तथा फिर सामने देखकर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही पार करें।
- यदि कोई तेज वाहन आ रहा हो तो उस समय सड़क पार न करें।
- सड़क के बायें चलें एवं सड़क चिन्हों का अनुसरण करें।
- जहाँ तक संभव हो एवं जेब्रा लाइन अंकित हो, वहाँ जेब्रा लाइन से ही सड़क पार करें।
- सड़क पर चलते समय या सड़क पार करते समय मोबाईल पर बात न करें तथा कान में इयरफोन लगा कर न चलें।

दो पहिया वाहन सवार ध्यान दें:

- वाहन हमेशा सड़क के बायीं ओर और निर्धारित गति सीमा से चलायें।
- दुपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाली सवारी हमेशा हेलमेट पहन कर चलें।

चार पहिया वाहन सवार ध्यान दें:

- कार या अन्य चार पहिया वाहन या उससे बड़े वाहन चालक हमेशा सीट बेल्ट बांध कर गाड़ी चलायें। कार एवं अन्य चार पहिया वाहन की सीटों पर बैठे यात्री भी सीट बेल्ट बाँध लिया करें।
- गाड़ी हमेशा सड़क के बायें किनारे पर खड़ी करें। साथ ही उतरते समय पीछे देखकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही उतरें।
- गाड़ी का दरवाजा खोलते समय पीछे से आने वालों की सुरक्षा का ध्यान रखें।

अन्य जरूरी सलाह

- नशा न करें तथा नशे की हालत में गाड़ी कदापि न चलाएं। नशे में गाड़ी चलाना अपनी मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा होगा।
- ट्रैफिक के नियमों और संकेतों का पालन करें।
- गाड़ी दायें और बायें मोड़ते समय, गाड़ी रोकते समय और गाड़ी धीमी करते समय संकेत (Indicator) अवश्य दें।
- किसी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार दें और उसे तुरंत किसी नजदीकी चिकित्सालय में ले जायें। नये कानून के अनुसार घायल का ईलाज सबसे पहले करें। इसमें पुलिस की प्रतीक्षा करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।
- वाहन सवार एवं पैदल यात्री एम्बुलेंस एवं अग्निशमन सेवा की गाड़ियां जाने के लिए रास्ता छोड़ दें।
- सड़क का चौराहा/तिराहा आने के पूर्व वाहन की गति धीमी कर लें एवं उसे पार करने के पूर्व दाहिने और बायें देखें एवं सावधानी बरतें।
- गाड़ी चलाते समय सेल्फी न लें, इससे दुर्घटना हो सकती है।
- शांत दिमाग से एवं धैयपूर्वक सामान्य गति से गाड़ी चलायें।
- रेल फाटक या लाइन पार करते समय रेलवे लाईन के दोनों ओर देख कर ही ध्यान से पार करें।
- घनी आबादी, स्कूल एवं अस्पताल के पास आने पर अपनी गाड़ी धीमी कर लें।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना-800001, फोन: +91 (612) 2522032, फैक्स: +91 (612) 2532311

visit us: www.bsdma.org; e-mail: info@bsdma.org

सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

पैदल चलने वालों के लिए जरूरी सलाह

- हमेशा फुटपाथ पर ही चलें, फुटपाथ आपके लिये ही बने है।
- जेब्रा क्रासिंग से ही सड़क पार करें। सड़क पार करते समय देख लें कि पैदल चलने वालों के लिए लगा संकेतक हरा हो।
- जहाँ पर पैदल चलने वालों के लिये जेब्रा क्रासिंग नहीं हो वहाँ से सड़क पार करते समय पहले दोनों तरफ आने–जाने वाली गाड़ियों को देखें, फिर दायें देखें, फिर बाई ओर देखें और फिर सामने देखकर जब सड़क पार करना सुरक्षित हो तो सड़क पार करें।
- कभी भी गाड़ियों के चलने वाली जगह पर न टहलें, न ही रुकें।
- सड़क पर पैदल चलते समय अथवा सड़क पार करते समय होर्डिंग को न देखें, न पढ़ें और न ही मोबाईल फोन अथवा ईयरफोन का प्रयोग करें। आवश्यक होने पर सड़क के किनारे सुरक्षित जगह पर खड़े होकर मोबाईल का प्रयोग करें।

सोचें-रुकें	: सड़क पार करने के लिए एक सुरक्षित जगह कहाँ है? सड़क पर सभी गाड़ियों को ठीक से कितनी दूर तक देख सकता हूँ। सुनिश्चित करें कि आप रुकी हुई या पार्क की गयी गाड़ियों के पीछे नहीं रहें।
रुकें-देखें	: जहाँ से आपको सड़क पार करना है।
देखें व सुने	: सड़क के दोनों तरफ ठीक प्रकार से देखें कि क्या कोई गाड़ी आ रही है।
इंतजार करें	: तब तक इंतजार करें जब तक गाड़ियाँ पार न हो जाय।
सड़क पार करें	: सड़क को सीधे पार करें न कि आड़े–तिरछे।
ध्यान रहे	: जब तक सड़क पार न हो जायें सड़क के दोनों तरफ से ध्यान न हटायें।

सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा